उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या-12/2016/544/43-1-2016-14(24)/2016
लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2016
कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-46 आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवाये में हुई बचत रू0 5758 हजार, लेखा शीर्षक- 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें में हुई बचत रू0 18913 हजार एवं लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा में हुई बचत रू0 5 हजार अर्थात कुल धनराशि रू0 24676 हजार (दो करोड छियालिस लाख छिहत्तर हजार मात्र) के अतिरिक्त आयोजनागत पक्ष के लेखा शीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-राज्य सूचना आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण में हुई बचत रू0 615 हजार की धनराशि का लेखाशीर्षवार विवरण निम्नवत है, वित्त विभाग को पुर्नग्रहण हेतु समर्पित की जाती है :-

(1) आयोजनेत्तर
लेखाशीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-091-सम्बद्ध कार्यालय-03-कार्यालय निरीक्षणालय

(धनराशि हजार रूपये में)

मद, कोड संख्या	वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्राविधिनित धनराशि	पुनर्विनियोग से संक्रमित की गई धनराशि	पुनर्विनियोग के पश्चात कुल प्राविधानित धनराशि	31 मार्च, 2016 तक कुल व्यय	बचत/ समर्पण	बचत एवं व्ययाधिक्य का कारण
1	2	3	4	5	6	7
01-वेतन	12490	-	12490	11389	1101	(1) इस बचत के सापेक्ष मद संख्या-49-चिकित्सा व्यय में रू0 114 हजार ग्रुपिंग के अन्तर्गत व्यय किया है। (2) अधिकारी संवर्ग के 07, कर्मचारी संवर्ग के 09 पद रिक्त होने के कारण धनराशि अवशेष है। (3) कुल 10 अधिकारियों के ए0सी0पी0 प्रकरण स्वीकृति हेतु विचाराधीन होने के कारण धनराशि अवशेष है।
02-मजदूरी	18	-	18	16	02	आवश्यकता नही पड्ने के कारण धनराशि अवशेष है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

03-महंगाई भत्ता	14988	-	14988	13072	1916	(1) अधिकारी संवर्ग के 07, कर्मचारी संवर्ग के 09 पद रिक्त होने के कारण धनराशि अवशेष है। (2) कुल 10 अधिकारियों के ए0सी0पी0 प्रकरण स्वीकृति हेतु विचाराधीन होने के कारण धनराशि अवशेष है।
04-यात्रा भत्ता	1200	-	1200	1192	8	आवश्यकता आवश्यकता से कम होने के कारण धनराशि अवशेष है।
05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	25	-	25	20	5	स्थानान्तरण नही होने के कारण धनराशि अवशेष है।
06-अन्य भत्ते	1375	-	1375	1349	26	कुल 10 अधिकारियों के ए0सी0पी0 प्रकरण स्वीकृति हेतु विचाराधीन होने के कारण धनराशि अवशेष है।
07-मानदेय	01	-	01	01	-	-
08-कार्यालय व्यय	130	-	130	148	(-) 18	ऋणात्मक प्रदर्शित धनराशि का आहरण मद सं0-51 वर्दी व्यय से रू0 18 हजार ग्रुपिंग में किया गया है।
09-विद्युत देय	70	-	70	36	34	विद्वत विभाग से बिल कम प्राप्त होने के कारण धनराशि अवशेष है।
10-जलकर/जल प्रभार	20	-	20	9	11	जलकल/नगर निगम से बिल कम प्राप्त होने के कारण धनराशि अवशेष है।
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	85	-	85	78	7	मितव्ययता के फलस्वरूप धनराशि अवशेष है।
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50	-	50	50	-	-
13-टेलीफोन पर व्यय	20	-	20	9	11	दूर संचार विभाग से बिल कम प्राप्त होने के कारण धनराशि अवशेष है।
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और	100	-	100	91	9	आवश्यकता उत्पन्न नही होने के कारण धनराशि अवशेष है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पेर्टोल आदि की खरीद						
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	40	-	40	6	34	आवश्यकता उत्पन्न नही होने के कारण धनराशि अवशेष है।
17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	80	-	80	58	22	आवश्यकता उत्पन्न नही होने के कारण धनराशि अवशेष है।
18-प्रकाशन	30	-	30	-	30	आवश्यकता उत्पन्न नही होने के कारण धनराशि अवशेष है।
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	-	+ (17)	17	17	-	-
29-अनुरक्षण	200	+ (159)	359	359	-	-
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	60	-	60	23	37	आवश्यकता उत्पन्न नही होने के कारण धनराशि अवशेष है।
45-अवकाश यात्रा व्यय	100	-	100	-	100	अवकाश यात्रा नहीं होने के कारण धनराशि अवशेष है।
46-कम्प्युटर हार्डवेअर/साफ्ट वेअर का क्रय	320	-(176)	144	135	9	आवश्यकता उत्पन्न नही होने के कारण धनराशि अवशेष है।
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेश्नरी	100	-	100	56	44	आवश्यकता उत्पन्न नही होने के कारण धनराशि अवशेष है।
49-चिकित्सा व्यय	200	-	200	314	-(114)	ऋणात्मक प्रदर्शित धनराशि का आहरण मद संख्या-01 वेतन से ग्रुपिंग में किया गया है।
51-वर्दी व्यय	20	-	20	-	20	इस बचत के सापेक्ष रू0 18 हजार मद संख्या-8 कार्यालय व्यय में ग्रुपिंग के अन्तर्गत व्यय किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

योग-	**31722**		**31722**	**28428**	**3426** **(-) 132** **3294**	

नोट- पुनर्विनियोग आदेश संख्या-05/2015/1727/43-1-2015-7(6)2014 दिनांक 14-1-2016 द्वारा मानक मद संख्या-46-कम्प्यूटर हार्डवेअर,साफटवेअर का क्रय से का मानक मद संख्या-29-अनुरक्षण में रू0 159 हजार तथा मानक मद संख्या-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र में रू0 17 हजार अर्थात कुल रू0 176 हजार (रूपये एक लाख छियत्तर हजार मात्र) का पुनर्विनियोग किया गया।

लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-
091-सम्बद्व कार्यालय-04-प्रशासनिक सुधार निदेशालय

(धनराशि हजार रूपये में)

मद, कोड संख्या	वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्राविधिनित धनराशि	पुनर्विनियोग से संक्रमित की गई धनराशि	पुनर्विनियोग के पश्चात कुल प्राविधानित धनराशि	31 मार्च, 2016 तक कुल व्यय	बचत/ समर्पण	बचत एवं व्ययाधिक्य का कारण
1	2	3	4	5	6	7
01-वेतन	3600	(-)130	3470	2764	706	कर्मचारियों के सेवानिवृत्त एवं कार्मिकों के पद रिक्त रहने के कारण
03-महंगाई भत्ता	4320		4320	3226	1094	तदैव
04-यात्रा भत्ता	50		50	50	-	-
06-अन्य भत्ते	500		500	364	136	कर्मचारियों के सेवानिवृत्त एवं कार्मिकों के पद रिक्त रहने के कारण
07-मानदेय	5		5	5	-	-
08-कार्यालय व्यय	45		45	42	3	-
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	30		30	30	-	-
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20		20	19	1	-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13-टेलीफोन पर व्यय	20		20	15	5	कम व्यय होने के कारण
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	400		400	147	253	एक वाहन नीलाम होने के कारण
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	230	130	360	302	58	दो कार्मिकों की सेवा कम होने के कारण
42-अन्य व्यय	10		10	10	-	-
45-अवकाश यात्रा व्यय	60		60	16	44	कर्मचारियों द्वारा ए0टी0सी0 का उपभोग नही किया गया एवं ग्रुपिंग के अन्तर्गत 04 यात्रा भत्ता में व्यय किया गया।
46-कम्प्युटर हार्डवेअर/साफ्ट वेअर का क्रय	100		100	99	1	-
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेश्नरी	40		40	40	-	-
49-चिकित्सा व्यय	200		200	46	154	अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति न लिए जाने के कारण।
51-वर्दी व्यय	15		15	6	9	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी न दिए जाने के कारण।
योग-	9645		9645	7181	2464	

नोट- पुनर्विनियोग आदेश संख्या-34/2015/1622/43-1-2015-7(7)/2014 दिनांक 10-11-2015 द्वारा 01-वेतन मद से मानक मद संख्या-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में रू0 130 हजार का पुनर्विनियोग किया गया।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखा शीर्ष-2070-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर

800-अन्य प्रशासनिक सेवायें-03-उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग का गठन

(धनराशि हजार रूपये में)

मद, कोड संख्या	वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्राविधिानित धनराशि	पुनर्विनियोग से संक्रमित की गई धनराशि	पुनर्विनियोग के पश्चात कुल प्राविधानित धनराशि	31 मार्च, 2016 तक कुल व्यय	बचत/ समर्पण	बचत एवं व्ययाधिक्य का कारण
1	2	3	4	5	6	7
01-वेतन	30000	(-) 3525	26475	19422	7053	आयोग में 01 सूचना आयुक्त का पद रिक्त तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त स्वीक़त पदों पर नियुक्ति न होने के कारण।
02-मजदूरी	5300	3600	8900	8882	18	वास्तविक उपभोग/अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 5400000.00 संक्रमित की गई।
03-महंगाई भत्ता	36000	(-) 2900	33100	22937	10163	आयोग में 01 सूचना आयुक्त का पद रिक्त तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त स्वीक़त पदों पर नियुक्ति न होने के कारण।
04-यात्रा व्यय	500	-	500	381	119	वास्तविक उपभोग/अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 150000.00 संक्रमित की गई।
06-अन्य भत्ते	3500	-	3500	3090	410	वास्तविक उपभोग
07-मानदेय	50	-	50	50	-	वास्तविक उपभोग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

08-कार्यालय व्यय	6000	-	6000	6000	-	वास्तविक उपभोग
09-विद्युत देय	500	-	500	173	327	वास्तविक उपभोग
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	700	-	700	700	-	वास्तविक उपभोग/अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 200000.00 संक्रमित की गई
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	800	150	950	939	11	वास्तविक उपभोग/अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 150000.00 संक्रमित की गई
13-टेलीफोन पर व्यय	600	-	600	590	10	वास्तविक उपभोग
14-मोटर गाडियों का क्रय	--	'--	-	-	-	वास्तविक उपभोग
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	2500	100	2600	2600	-	वास्तविक उपभोग/अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 400000.00 संक्रमित की गई
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1350	200	1550	1550	-	वास्तविक उपभोग/अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 750000.00 संक्रमित की गई
17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	1	-	1	0	1	कोई व्यय नही।
18-प्रकाशन	50	-	50	50	-	वास्तविक उपभोग
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	200	-	200	200	-	वास्तविक उपभोग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

22-आतिथ्य व्यय/व्यय विष्यक भत्ता आदि	100	-	100	99	1	वास्तविक उपभोग
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	100	1250	1350	858	492	आवंटित धनराशि को उ0प्र0 पशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ के पक्ष में अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष अकादमी द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 8,57,965.00 का व्यय किया गया एवं अवशेष धनराशि रू0 4,92,035.00 को प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 के पत्र संख्या-497/43-1-2016 दि0 22-3-2016 के द्वारा अवगत कराये गये लेखा शीर्षक में अकादमी द्वारा चेक सं0-434414, दि0 28-3-2016 को टेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करा दिया गया है।
45-अवकाश यात्रा व्यय	100	175	275	265	10	वास्तविक उपभोग/अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 175000.00 संक्रमित की गई
46-कम्प्युटर हार्डवेअर/साफट वेअर का क्रय	600	600	1200	1200	-	वास्तविक उपभोग/अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 600000.00 संक्रमित की गई
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी	700	350	1050	1050	-	वास्तविक उपभोग/अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्टेश्नरी						350000.00 संक्रमित की गई
49-चिकित्सा व्यय	500	-	500	202	298	वास्तविक उपभोग
योग-	90151		90151	71238	18913	

नोट- शासनादेश संख्या-23/2015/1124/43-1-2015-14(29)2015 दिनांक 21-7-2015 द्वारा 01-वेतन मद से 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय मद में रू0 1250 हजार का पुनर्विनियोग किया गया। शासनादेश संख्या-32/2015/1535/43-1-2015-7(4)/2014 दिनांक 14-10-2015 द्वारा 01 वेतन मद से 02-मजदूरी मद हेतु रू0 2100 हजार एवं मद सं0-45 अवकाश यात्रा व्यय हेतु रू0 175 हजार कुल रू0 2275 हजार का पुनर्विनियोग किया गया। शासनादेश संख्या-9/2016/195/43-1-2016-7(4)/2014 दिनांक 22-2-2016 द्वारा 03-महंगाई भत्ता मद से मद संख्या-02, 12, 15, 16, 46 तथा 47 में क्रमशः धनराशि रू0 1500 हजार, 150 हजार, 100 हजार, 200 हजार, 600 हजार तथा 350 हजार अर्थात कुल धनराशि रू0 2900 हजार का पुनर्विनियोग किया गया।

2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-004-अनुसंधान-03-इण्डियन इंस्टीटयुट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश की रीजनल शाखा लखनऊ अनुदान-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)

(हजार रूपये में)

प्राविधानित धनराशि	वास्तविक व्यय	वित्त विभाग को समर्पित धनराशि	कारण
450	445	5	प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(2) आयोजनागत

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-राज्य सूचना आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य

(हजार रूपये में)

प्राविधानित धनराशि	वास्तविक व्यय	वित्त विभाग को समर्पित धनराशि	कारण
140000	139385	615	प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

<u>सम्पूर्ण समर्पित धनराशि</u>

1- **आयोजनेत्तर** - 3294+2464+18913+5=24676 हजार रूपये
(रूपये दो करोड छियालीस लाख छिहत्तर हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- **आयोजनागत** - 615 हजार रूपये (रूपये छः लाख पन्द्रह हजार मात्र)

कुल धनराशि-25291 हजार रूपये (रूपये दो करोड. बावन लाख इक्यान्नबे हजार मात्र)

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव।

अशासकीय संख्या-ई-9-134/दस-2016 दिनांक 31 मार्च, 2016

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हक0) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को एक अतिरिक्त प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आयोजनेत्तर पक्ष में हुई बचत रू0 24676 हजार (रूपये दो करोड छियालीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) एवं आयोजनागत पक्ष में हुई बचत रू0 615 हजार (रूपये छः लाख पन्द्रह हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 25291 हजार (दो करोड बावन लाख इक्यान्नबे हजार मात्र) की धनराशि वित्त विभाग द्वारा पुनर्ग्रहीत कर ली गई है।

आज्ञा से,
राम सुमेर
अनु सचिव, वित्त विभाग।

संख्या-12/2016/544(1)/43-1-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- सचिव, उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग, लखनऊ।
2- निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ लेखाधिकारी (रिपोर्ट) कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम, इलाहाबाद दो प्रतियों में।
5- अवैतनिक सचिव, आई0आई0पी0ए0, नई दिल्ली की उ0प्र0 रीजनल शाखा, जवाहर भवन लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 (तीन प्रतियों में)
9- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
10- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
11- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
12- अनुभाग अधिकारी (लेखा) प्रशासनिक सुधार विभाग।
13- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
14- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1

आज्ञा से,

भवेश रंजन
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in